

2026

2026 Sale No. 88007-10000 0.034 dec 0.058 352

1993 1000Rs.



2/8-05

वर्ष 1908 का प्रथम  
संख्या 46 का प्रथम  
1899 का प्रथम  
23

880-00  
54.00  
2.50  
0.94  
937.44

HC/18  
2/8/05

वार्डन/जिम्मेदार को लिखाया  
वर्ष 1908 का प्रथम  
2.805  
80 लिपिक

संख्या 88007-10000  
अशोक स्तूप का प्रथम प्रमाण  
पट्टन संख्या 0.034 सब तीन डिग्री  
पट्टन संख्या 0.058 सब तीन डिग्री  
11/8/05

1 अमर कुमार गुप्ता  
2 अमर कुमार गुप्ता

मोकिर:- अमित कुमार पोद्दार पिता श्री अमर कुमार  
पोद्दार जात मारवाड़ी पेशा व्यापार साकीच  
मौजा मेन रोड गुमला थाना को जिला गुमला  
ओम करपरदाज बुक संख्या फोर नं0 7/ 96  
रजि स्ट्री तारीख 23- 2-96 निबंधन कार्यालय  
गुमला मिन जानिब सिलम अग्रवाल पति श्री  
प्रेम अग्रवाल जाति अग्रवाल पेशा गृहस्ती साकिन  
मौजा मारवाड़ी ठाकुर बाड़ी बोरेहाट थाना  
को जिला वर्दमान १० बंगाल १ शपथ पत्र  
सं- 517/05



2

नाम मोकिर:- अमरेश कुमार झा पिता स्व० गुन्जेश्वर झा  
अलेह जाति ब्राह्मण पेशा व्यापार साकीन मौजा  
माझाटोली शंख मोड़ थाना रायडीह जिला  
गुमला भारतीय नागरिक हैं शपथ पत्र सं- 518/05

किस्म वसिका:- दस्तावेज बिक्री हमेशे के वास्ते जिसकी सलाने  
मालगुजारी 05 पैसे अलावे शेष।

तायदाद रूपया:- जरसमन मो० 88,000/- अठ्ठासी हजार रूपया  
जिसका आधा मो० 44,000/- चौवालीस हजार  
रूपया होता है।

जायदाद:- मवाजी 0.03 $\frac{1}{4}$  एकड़ जमीन टांड हकियत कायमी  
रैयती वो अपना हक वो दखल अन्दर खाता नं०  
14 वाके मौजा गुमला सरनाटोली थाना गुमला  
थाना नं० 59 जिला गुमला वार्ड नं०-01. जिसके  
मुतअलके कलकट्टी वो डिस्ट्रीक्ट रजिस्ट्रार वो  
सब रजिस्ट्रार मोकाम गुमला अन्दर जमीनदारी  
झारखण्ड सरकार द्वारा अंचल पदाधिकारी गुमला  
अंचल जमीन आवासीय योग्य खाली है।

तफसील जमीन

②

अमरेश कुमार झा

①

अमरेश कुमार झा

50/811  
11/8/05  
अमरेश कुमार झा50/811  
11/8/05  
अमरेश कुमार झा  
अमरेश कुमार झा  
अमरेश कुमार झा



3.

तफसील जमीन स्य बिक्री

खाता नं०	प्लॉट नं०	रकबा
14	963	0.02 एकड़
४ चौदह नौ सौ तिरसठ ४		
,	1475	0.01 $\frac{1}{4}$ एकड़
४ चौदह सौ पचहत्तर ४		

जमा रकबा सवा तीन डीसमिल, 0.03  $\frac{1}{4}$  एकड़

नापी- उत्तर तरफ पुरब से पश्चिम की लम्बाई 63.3 फीट दक्षिण तरफ पुरब से पश्चिम की लम्बाई 58 फीट, पुरब तरफ उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 26 फीट पश्चिम तरफ उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 21 फीट है।

दोनों प्लॉटों का चौहदी- उत्तर टांडू खरीदगी कमलेश कुमार झा दक्षिण प्रताप कुमार चौधरी पुरब कच्चा रास्ता 15 फीट पश्चिम मुरली साह

आगे मनमोकिर बैंक ऑफ इंडिया शाखा गुमला द्वारा निर्गत चेक नं० 0003265 दिनांक 1.08.05 के द्वारा मो० 88,000/- अठ्ठासी हजार रुपया मोकिर अलेह से पा चुके हैं उसी रुपया को जरसमन करार देकर वाजिब वो अदल जरसमन कैबदला में अमर लिखा जमीन को आज के रोज साथ मोकिर अलेह के बेचा वो बिक्री लिख दिया चाहिए कि मोकिर अलेह मय उनके वारीसान स्य बिक्री जमीन

5018/1  
मनमोकिर बैंक5018/1  
Mokir Mohar Mukherjee  
Jitendra Kumar Jit

① अमर लिखा

② अमर लिखा



4.

जमीन पर बहैस्थित खरीदार के दखलकार होकर वो रहकर मुनासिब इंतजाम करें वो करावे वो अपने नाम से दाखिलखारीज करा लेंगे मनमो किर यह भी घोषित करता है कि उपरोक्त विवरणी की भूमि खतियान के अनुसार सरकारी नहीं है और न सरकार के द्वारा अधिग्रहण ही किया गया है यह भूमि खेनन एवं वन सीमा से बाहर है यह भूमि मठ मन्दिर मस्जिद गिरजा सरना तथा गुरुद्वारा का नहीं है यह भूमि को पूर्व में बिक्री नहीं किया गया है यह भूमि आदिवासी खाते की नहीं है। अब मनमो किर वो उनके वारोसानों का कोई वास्ता सरोकारे हक वो दाबी स्प बिक्री जमीन पर बाकी न रहा वो न आइन्दे कभी होगा इसलिए बखुशी वो चाहिश अपने दस्तावेज बिक्री लिख दिया कि समय पर काम आवे मोकाम गुमला आजतारीख 01.8.05 ई० ।

रुना सुनील देव  
11/8/05

मे लेख्यकारी झारखण्ड भूदब्दी अधिनियम 1961 की धारा 16 & 28 के अधिन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा बिक्री की जाने वाली जमीन भूदब्दी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

रुना सुनील देव  
11/8/05

①

अभिलेखक गुमला

②

अभिलेखक गुमला



हे न्यायाधीश महोदय, कृपया मेरी शिकायत (2018) की तारीख 14/12/18 को ध्यान में रखकर कृपया मुझे निम्न द्वारा बतानी कृपया मेरी शिकायत की प्रतिक्रिया शीघ्र से प्रतिक्रिया दें।

**श्रीमती सुष्मा शर्मा**  
1-8-05

कृपया ध्यान दिया जाता है कि वह बस्तापेस 5 वर्षों में लाने के लिए कानून से निर्धारित समय नहीं है जो कि बस्तापेस से द्वितीयक प्रति 100 रुपये के शुल्क और कमी प्रतिक्रिया है। जो कि बस्तापेस के लिए देना पड़ता है कि वह प्रति कंपनी है।

श्रीमती सुष्मा शर्मा

किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए कृपया बस्तापेस की मुक्ति-व्यय नाम पर बस्तापेस नहीं है कि वह कानून की 14/17 के बस्तापेस के लिए किया है।

श्रीमती सुष्मा शर्मा  
01-8-05

श्रीमती सुष्मा शर्मा  
20-09-2018

बस्तापेस की 50

1) श्रीमती सुष्मा शर्मा

2) श्रीमती सुष्मा शर्मा



5.

में लेख्यधारी झारखण्ड भूहदबंदी अधिनियम 1961 की धारा 16 & 28 के अधीन घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीदी जाने वाली जमीन भूहदबंदी की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं है।

अमरेश कुमार का  
1-8-05

प्रमाणित किया जाता है कि यह दस्तावेज 5 पन्नों में टाई किया गया है जिसमें खण्डन नहीं है वो मूल दस्तावेज से द्वितीयक प्रति एक दूसरे से डुबड़ और सच्ची प्रतिलिपि है। वो इस दस्तावेज के साथ ट्रेड नक्शा का मूल प्रति संलग्न है।

अमरेश कुमार का  
1/8/05

टंकक बासुदेव उरांव कोट परिसर गुमला ड्राफ्टकर्ता श्री मुनीन्द्र नाथ राय दस्तावेज नवीस गुमला लाइसेंस नं० 14/97 के ड्राफ्ट से टाई किया।

बासुदेव उरांव  
01-8-05  
टंकक

मुनीन्द्र नाथ राय  
22-09-02/05

ड्राफ्टकर्ता का ह०

2

1

अमरेश कुमार का

अमरेश कुमार का

